न्यायालय सहायक कलक्टर, रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 103/2015

वादीगण
1–लालचन्द पुत्र स्व.शिवजीराम जाति माली
2–केवलचन्द पुत्र स्व.शिवजीराम जाति माली
निवासीगण आलनियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1–रतनलाल पुत्र रामकरण जाति गुर्जर
निवासी आलनियावास तहसील रियांबड़ी
2–तहसीलदार रियांबड़ी
3–पटवारी हलका आलनियावास
तरतीबी प्रतिवादीगण
4–श्रीमति गूलकीदेवी पुत्री श्री शिवजीराम पत्नि मोतीराम निवासी जसनगर
5–श्रीमति शारदा पुत्री श्री शिवजीराम पत्नि राधेश्याम निवासी जाटावास
6–श्रीमति गुलीदेवी पुत्री श्री शिवजीराम पत्नि नौरतराम निवासी जसनगर
7–श्रीमति भरपाई पुत्री श्री शिवजीराम पत्नि रमेश निवासी रियांबड़ी
8–श्रीमति गीतादेवी पत्नि स्व.शिवजीराम जाति माली निवासी आलनियावास

दावा बाबत घोषणा हक खातेदारी व दिलाये जाने कब्जा व हर्जाना अंतर्गत धारा 88,183 आरटीएक्ट 1955

वकील वादी–श्री कैलाशराम कलवानियां
वकील प्रतिवादीगण–श्री अर्जुनपुरी गौस्वामी

निर्णय

दिनांक :– 16.10.2017

वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–
1–यह है कि ग्राम आलनियावास की सरहद में खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के परदादा स्व.रूघनाथराम पुत्र स्व.श्री मोतीराम व श्री नारायण पुत्र स्व. बोदुराम की सामलाती ही खातेदारी की कब्जा व काश्तसुद थी। इस जमीन में 1/2 हिस्सा का बंट वादीगण के परदादा स्व.श्री रूघनाथराम का था व 1/2 हिस्सा का बंट नारायणराम का था।
2–यह है कि वादीगण के परदादा रूघनाथ पुत्र मोतीराम के एकमात्र पुत्र वादीगण के दादा स्व.भैरूराम जी थे। इसलिए वादीगण के परदादा की मृत्यु के बाद वादीगण के दादा ही एक मात्र उतराधेकारी होने के कारण वादीगण के दादा के हिस्से में उपरोक्त बंट 1/2 हिस्सा की जमीन आई। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 8 अभी उपस्थित नहीं होने से इनको तरतीबी पक्षकार माना गया है। जिनसे वादीगण का कोई विवाद नहीं है।

सहायक कलक्टर
रियाँबड़ी(नागौर)

3–यह है के वादीगण के दादा के वादीगण के पिता व तीन अन्य पुत्र उतराधिकारी है चुकि वादीगण के पिता व उनके भाईयों के बीच पारिवारिक बंटवारे के अनुसार उपरोक्त जमीन वादीगण के पिता के हिस्से में आई। वादीगण के पिता की मृत्यु होने से उपरोक्त जमीन वादीगण के हिस्से में आई जिस कारण वादीगण वाद प्रस्तत करने के अधिकारी है।

4–यह है कि वादीगण के परदादा की मृत्यु होने के पश्चात नारायण पुत्र बोदुराम ने वादीगण के दादा के बाले बाले प्रतिवादी संख्या 1 से मिलकर दिनांक 25.8.1966 को वादीगण के दादा के नाम से व नारायण ने अपने नाम से प्रतिवादी संख्या 1 के हक में वादग्रस्त खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा जमीन का बेचाननामा दो स्टाम्प के कागज 2/– रूपये का व 1/–रूपये का पर 90/–रूपये में बेचाननामा तकमील किया। उस बेचाननामा में वादीगण के दादा के कोई दस्तखत व सहनाण नहीं है। केवल नारायण अकेले ने ही पूरी जमीन का बेचाननामा 90/– रूपये में प्रतिवादी संख्या 1 के हक में कर दिया।उपरोक्त बेचाननामा के आधार पर वादीगण के दादा ने कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार के बेचाननामें की कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है एंव वादीगण के अधिकारो पर निष्प्रभावी है। अर्थात शुन्य है। फिर प्रतिवादी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत आलनियावास के तत्कालीन उपसरपंच व प्रतिवादी संख्या 3 व आर.आई हलका थांवला से मिलकर षड्यंत्र पूर्वक नाजायज व गैर कानूनी रूप से नामान्तकरण संख्या 469 भरकर स्वीकार करके वादीगण के दादा व नारायण की जगह पूरी जमीन की खातेदारी का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर दिया। मात्र नामान्तकरण से प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वक्त फर्जी बेचाननामा के समय प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सरपंच थे। व अपने अधिकारो का गलत व गैर कानूनी रूप से उपयोग कर सम्पत्ति का एक फर्जी बेचाननामा तैयार कर सम्पत्ति की कीमत कम बताकर अनरजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर नामान्तकरण भरवा लिया।

5–यह है के वक्त बेचाननामा के दिन रूघनाथ पुत्र मोतीराम जो वादीगण के परदादा थे उनके नाम खातेदारी दर्ज थी तो ऐसे में वादीगण के परदादा रूघनाथ के स्थान पर उनका जायन्दा पुत्र वादीगण के दादा भैरूराम किस प्रकार बेचाननामा करने के अधिकारी थे। व उस बेचाननामा में भैरूराम के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान भी नहीं है जो बेचननामा व खतौनी नकल से ताईद होता है। इस प्रकार एक बिना वैधानिक खातेदार व बिना अंगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर के एक बिना रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर फर्जी नामान्तकरण भर कर खातेदारी प्राप्त करने का प्रतिवादी संख्या 1 अधिकारी नहीं थे। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने गैर कानूनी रूप से एक फर्जी व गलत बेचाननामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता। व गैर कानूनी रूप से प्राप्त खातेदारी को खारीज करवाने के लिए वादीगण यह वाद पेश कर रहे है।

6–यह है कि नारायण पुत्र बोदुराम को वादीगण के दादा के हिस्से की जमीन का बेचाननामा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में तकमील करने का कोई अधिकार नहीं था। नारायण पुत्र बोदुराम ने प्रतिवादी संख्या 1 से मिलकर एक फर्जी बेचाननामा तैयार किया गया जिस पर वादीगण के दादा के किसी भी प्रकार के कोई हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति थे तथा वादीगण के दादा अनपढ व्यक्ति थे उनका फायदा उठाकर उपरोक्त फर्जी बेचाननामा के आधार पर जबरदस्ती कब्जा प्राप्त कर लिया चूंकि उपरोक्त खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा जमीन में वादीगण के दादा का 1/2 हिस्सा था जिसको नारायण पुत्र बोदुराम ने प्रतिवादी संख्या 1 से मिलकर फर्जी बेचाननामा के आधार पर बेचान किया उसमें से वादीगण 1/2 हिस्सा अपने हक में घोषणा करवाने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

7–यह है कि नारायण पुत्र बोदुराम को वादीगण के दादा के हिस्से की जमीन का बेचाननामा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में तकमील करने का कोई अधिकार नहीं था। वादीगण के दादा ने जब प्रतिवादी संख्या 1 के हक में बेचाननामा तकमील किया ही नहीं ऐसी हालत में पटवारी हलका को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में नामान्तकरण भरने का कोई हक ही नहीं था। प्रतिवादी संख्या 1ने प्रतिवादी संख्या 3 से मिलकर गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त फर्जी बेचाननामा के आधार पर वादीगण के दादा का नाम हटा दिया तथा राजस्व रेकर्ड के आधार पर वादीगण के दादा को प्रतिवादी संख्या 1 ने मुगालते में रखकर फर्जी तरीके से कब्जा प्राप्त कर लिया। वादीगण अपने हिस्से की 1/2 जमीन का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

8–यह है कि नारायण पुत्र बोदुराम व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3ने मिलकर वादीगण के हिस्से की 1/2 जमीन खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में सें गलत तरीके से फर्जी बेचाननामा कर वादीगण के जमीन का कब्जा प्राप्त कर लिया है। चूंकि वादीगण उपरोक्त जमीन में कब्जा काश्त करने वंचित रहा है। इसलिए वादीगण हर्जाना प्राप्त करने के भी अधिकारी है।

9–यह है कि विवादित जमीन खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा ग्राम आलनियावास की सरहद में आया हुआ है। जो माननीय न्यायालय के हाजा के क्षैत्राधिकार में है।

10–यह है कि दावे की मालियत व कोर्ट फीस 2/–रूपये सादर प्रस्तुत है।

11–वादीगण की इस्तदुआ यह है कि–

(क) यह है कि खेत खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में सें 1/2 हिस्सा की जमीन की खातेदारी की घोषणा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के पक्ष में पारित फरमायी जावें।

(ख) यह है कि खसरा संख्या 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में सें 1/2 हिस्से की जमीन का कब्जा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को दिलाया जावें। व वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के काश्त व कब्जा से वंचित रहने से हर्जाना दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई दादरसी जो वादीगण के हक में हो सादिर फरमाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अर्जुनपुरी,उम्मेदपुरी गौस्वामी ने वकालतनामा व जबाबदावा पेश किया गया। वकील वादी ने जबाब दावा का जबाब उल जबाब पेश करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर वकील वादी ने जबाबउल जबाब पेश करने की ईजाजत देने पर जबाबउल जबाब पेश किया गया।

वकील प्रतिवादी ने अपने जबाब में बताया कि वादीगण के परदादा रूघनाथ के पुत्र भैरूराम थे एंव वादी के पिता शिवजीराम के द्वारा मांगीलाल पुत्र सुरजकरण भांबी निवासी आलनियावास द्वारा खेत खसरा नंबर 1266 रकबा 39 बीघा का खातेदार मदन पुत्र नारायण से बेचाननामा दिनांक 21.12.1977 को खरीद किया जिस पर खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मांगीलाल द्वारा पेष किया गया जिसमें वादी के पिता शिवजीराम व दादा भैरूराम बतौर प्रतिवादी पक्षकार थे उक्त वाद का अनवान मांगीलाल बनाम भैरूराम वाद संख्या 200/85 निर्णय दिनांक 5.2.1994 उपखण्ड अधिकारी डेगाना के द्वारा किया गया उक्त वाद में तनकी संख्या 4 कायम की गई कि आया मदनलाल के पिता स्व.नारायण ने बंटवारा के बाद अपने बंट की जमीन खसरा नंबर 1207 की जमीन रतनलाल गुर्जर को बेच दी व रामजीवण ने अपने बंट की जमीन खसरा नंबर 1208 की जमीन रामकरण गुर्जर को बेच दी

सहायक कलक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

उक्त तनकी पर वादी के पिता शिवजीराम व दादा भैरूराम ने बतौर प्रतिवादी अपने बयान व जबाब में स्वीकार किया कि खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा जमीन नारायण ने अपने बंट की जमीन 25.8.1966 को रामकरण गुर्जर को बेची जिसका बेचाननामा उसके पुत्र रतनलाल के पक्ष में किया गया एंव शिवजीराम व भैरूराम ने खसरा नंबर 1266 में स्व.नारायण का कोई हक हिस्सा नहीं होना माना है। एंव उक्त बेचननामा असल वाद संख्या 200/85 में बतौर साक्ष्य सबूत प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामकरण जी से वजह सबूत हेतू लेकर गया था वर्तमन में भी असल इन्हीं के कब्जे मे है और विधिवत रूप से म्यूटेषन संख्या 469 दिनांक 11.3.1968 स्वीकृत हुआ था उस समय 100/– से कम बेचाननामा का पंजियन नहीं होता था जिससे म्यूटेशन सही स्वीकृत हुआ परंतु न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 10.2.15 को रिमाण्ड करते हुए पुनः जांच हेतू तहसीलदार रियांबड़ी को विधि सम्मत् निर्णय पारित करने का आदेष किया। जिसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के यहां अपील संख्या 19/2015 विचाराधीन है। और आगामी आदेश तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेष पारित किया इसके बावजूद वादीगण के द्वारा घोषणा खातेदारी कब्जा व हर्जाना का वाद प्रस्तुत किया जो काबिल निरस्त है। उक्त वाद में शिवजीराम व उसके पिता भैरूराम प्रतिवादी के हैसियत से पक्षकार थे जिन्होने अपने जबाबदावा में भी स्वीकार किया कि खसरा नंबर 1207 नारायण के बंट में आयी हुई है व इसका बेचान रतनलाल गुर्जर को किया जो सही है। इस प्रकार 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का 1/2 हिस्सा आया हुआ है जो गलत है। उक्त वाद में बंटवारा की लिखत प्रदर्श ए–1 दिनांक 2.12.88 को बतौर साक्ष्य प्रदर्षित की गई एंव भैरूराम ने अपने बयानो के कथन में यह स्वीकार किया कि उक्त बेचाननामा में मेरा अंगुष्ठ निशान है । इस प्रकार न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना ने बंटवाड़ा व बेचाननामा को सही मानते हुए दिनांक 5.2.94 को मांगीलाल का वाद खारीज किया। वादीगण के पिता व दादा के पक्ष में निर्णय दिया जिससे वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है वादीगण न्यायालय में स्वच्छ हाथो से उपस्थिति नहीं हुए है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वीकृति से पाबंद रहता है। और उन्हीं कथनो को मना करते हुए पुनः नही लाया जा सकता है परंतु जमीनो के भाव बढने से एंव वादीगण के पिता व दादा की मुत्यु होने के कारण वादीगण की नियत खराब हो गई जिससे यह वाद झूठा पेष किया गया जो काबिल निरस्त है।

वकील वादी ने जबाबउल जबाब हेतू प्रार्थना पत्र मय जबाबउल जबाब पेश किया परंतु जबाबउल जबाब पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। बल्कि दिनांक 11.4.16 को तनकी कायम की गई। जिस पर शहादत वादी हेतू रखी गई।

पत्रावली पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1–आया ग्राम आलनियावास की सरहद में खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के परदादा स्व. रूघनाथ व नारायण पुत्र बोदुराम की सामलाती होने से 1/2 हिस्सा वादीगण की खातेदारी की है।

(वादीगण)

2–आया खेत खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा की बेचाननामा शिवजीराम वादीगण के पिता एंव दादा भैरूराम के द्वारा वाद संख्या 200/85 सहायक जिलाधीश डेगाना निर्णय दिनांक 5.2.94 में प्रदर्श करके अपना हक हिस्सा नहीं होकर नारायण का बंट एंव बेचाननामा करना स्वीकार किया जिसमें उक्त वाद काबिल निरस्त है।

(प्रतिवादी)

सहायक कलक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

3–आया खंत खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा का नारायण द्वारा बेचान किया जिसमेसं भैरूराम के हस्ताक्षर है। और वाद संख्या 200/85 सहायक कलक्टर डेगाना में प्रदर्श करवाया जिससे वादीगण का वाद काबिल निरस्त है।

(प्रतिवादी)

वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी लालचंद ने अपना शपथ पत्र साक्ष्य दिनांक 27.9.16 को पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादी के जिरह दिनांक 20.10.16 को की गई,वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में खतौनी नकल 2060–63 प्रदर्श–1 है। बेचाननामा असल दिनांक 25.8.66 प्रदर्श–2 ए है जिसकी फोटो प्रति है। वकील प्रतिवादी ने जिरह में वादी के परदादा रूधनाथ व दादा भैरूराम होना स्वीकार किया और भैरूराम के चार लड़के शिवजीराम, धन्नाराम,गोपीराम,बीरमाराम थे। नारायण जी मेरे जाति भाई थे। यह भी अपने जिरह में स्वीकार किया कि मांगीलाल को मदन पुत्र नारायण ने खसरा नंबर 1266 रकबा 39 बीघा का बेचान किया जिसका दावा मेरे पिताजी पर किया। यह सही है कि उक्त वाद में तनकी संख्या 4 आया मदनलाल के पिता स्व.नारायण ने अपने बंटवारा के बाद अपने बंट के खसरा नंबर 1207 रतनलाल गुर्जर को बेच दी व रामजीवण ने अपनी बंट की जमीन 1208 रामकरण गुर्जर को बेच दी । यह सही है कि नारायण ने बंट की जमीन नारायण ने अकेले ने बेची थी। उक्त वाद में मेरे पिता व दादा दोनो पक्षकार थे। उसमें बयान हुए थे परंतु मुझे जानकारी नहीं है परंतु यह सही है कि उक्त वाद संख्या 200/85 में मेरे पिता व दादा ने जबाब दिया कि खसरा नंबर 1207 नारायण ने अपने बंट की बेचान की है हमारे बंट की नहीं की है। जबाब दावा के हस्ताक्षर सही है। यह बात भी सही है कि हमारे बीच पारिवारिक बंटवारा हुआ था। परंतु नारायण ने नहीं माना। यह सही है कि खसरा नंबर 1207,1266 नारायण के बंट में आया था जिसको नारायण ने बेच दिया। उक्त वाद डेगाना से हमारे पक्ष में हुआ था परंतु राजस्व मण्डल ने खारीज कर दिया। यह बात भी सही है कि बेचाननामा करने के बाद रतन जी ही काश्त करते है।

वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है जिस पर शहादत वादी बंद की गई। प्रतिवादी की साक्ष्य हेतू दिनांक 16.2.17 को रखी गई। प्रतिवादी रतनलाल का शपथ पत्र पेश किया गया। जिकी जिरह दिनांक 21.3.17 को वकील वादी ने जिरह की गई। वकील प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य के समर्थन ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का स्थगन आदेश प्रदर्श–डी–1,नकल निर्णय डी–2 विशेष न्यायिक मजि0 सरकार बनाम भंवरू वर्गरहा। प्रदश–3 बेचाननामा 25.8.1966,प्रदर्श –4 पारिवारिक बंटवारा लिखत,बयान भैरूराम प्रदर्श–5,तनकीयात प्रदर्श–6 वाद मांगीलाल बनाम भैरूराम वर्गरहा,जबाबदावा मांगीलाल बनाम भैरूराम प्रदर्श–7 निर्णय मांगीलाल बनाम भैरूराम प्रदर्श–8 की प्रमाणित प्रतिलिपि–

वकील वादी ने जिरह की गई। साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतू नियत की गई। दिनांक 3.10.17 को बहस सुनी गई। वकील वादी ने असल दस्तावेज पेश करने बाबत समय चाहा। पत्रावली दिनांक 12.10.17 को रखी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद व दस्तावेज एंव प्रतिवादी का जबाबदावा व प्रस्तुत बतौर सबूत साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वकील ने साक्ष्य वादी लालचंद ने अपने वाद के समर्थन में बतौर साक्ष्य उपस्थित हुआ एंव प्रतिवादी की ओर से स्वंय प्रतिवादी रतनलाल ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की। जिसका तनकीवार निर्णय किया जाना उचित है।

सहायक कलक्टर
रियॉवड़ी(नागौर)

1–आया ग्राम आलनियावास की सरहद में खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के परदादा स्व. रूघनाथ व नारायण पुत्र बोदुराम की सामलाती होने से 1/2 हिस्सा वादीगण की खातेदारी की है।

(वादीगण)

वादी के जिम्में तनकी संख्या 1 कायम की गई जिसको साबित करने का भार वादी के जिम्मे रखा गया। जिस पर वादी ने अपना स्वंय का शपथ पत्र व असल बेचाननामा पेश किया।और अपने जिरह में उसने उक्त बेचाननामा होना स्वीकार किया। एंव नारायण व परदार रूघनाथ के बीच पारिवारिक बंटवारा होना भी स्वीकार किया। वादी स्वंय ने असल बेचाननामा वाद में पेश किया है जिससे पूर्णतया साबित है कि उक्त खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा का बेचान प्रतिवादी रतनलाल को सही किया गया। एंव अपने कथनो में भी दौरान जिरह वाद संख्या 200/85में उक्त खसरा 1207 नारायण के बंट में होना स्वीकार किया व अपना बंट भी नहीं होना स्वीकार किया उक्त वाद जबाबदावा निर्णय आदि को सही होना स्वीकार किया गया। और वाद संख्या 200/85 मांगीलाल बनाम भैरू का निर्णय भी होना स्वीकार किया। उक्त वाद में केदारमल,शिवचंद,हजारी माली,गोकल माली,रामकरण गुर्जर, बीरमाराम माली,शिवजीराम माली,भैर जी माली के बयान होना स्वीकार किया। और यह भी स्वीकार किया कि बेचाननामा करने के बाद प्रतिवादी रतन जी ही काश्त करता है। इस प्रकार उक्त तनकी वादी अपने पक्ष में 1/2 हिस्सा की खातेदारी होना साबित नहीं कर सका क्योंकि अपने स्वंय कथनो से भी उक्त खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा स्व. नारायण के बंट में होना स्वीकार किया है। जिससे उक्त तनकी वादी के विरूध तय की जाती है। एंव प्रतिवादी के पक्ष में की जाती है।

2–आया स्वत खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा की बेचाननामा शिवजीराम वादीगण के पिता एंव दादा भैरूराम के द्वारा वाद संख्या 200/85 सहायक जिलाधीश डेगाना निर्णय दिनांक 5.2.94 में प्रदर्श करके अपना हक हिस्सा नहीं होकर नारायण का बंट एंव बेचाननामा करना स्वीकार किया जिसमें उक्त वाद काबिल निरस्त है।

(प्रतिवादी)

तनकी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 को साबित करना था जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने स्वंय का साक्ष्य शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश किये। व वाद संख्या 200/85 मांगीलाल बनाम भेरू का निर्णय दिनांक 5.2.94 में तनकी व जबाब दावा वादी के पिता व दादा व साक्षी वादी के दादा भैरू का उक्त बेचाननामा में अपना अंगुष्ठ निशान होना स्वीकार करना। वाद संख्या 200/85 में बयान डी डब्लू–5 भैरूराम, ने अपने जिरह में पेज संख्या 4में अपना अगुष्ठ निशान होना स्वीकार किया है जिसको प्रतिवादी ने प्रदर्श करवाया व तनकी प्रदर्श–6 जिसमें तनकी संख्या 4 में खसरा नंबर 1207 नारायण ने बंटवारा होने के बाद रतनलाल गुर्जर को बेची। उक्त तनकी वाद संख्या 200/85 में वादी के दादा के बयानात व पिता के बयानात व जबाबदावा प्रदर्श–7 व निर्णय प्रदर्श–8 में विवेचन किया व बंटवारा लिखत प्रदर्श –4 जो वाद संख्या 200/85 में ईएक्स–ए–1 में प्रदर्शित की गई जिसे उक्त वाद के निर्णय दिनांक 5.2.94 में खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा स्व.नारायण के बंट में स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारीज किया था जिसमें उक्त निर्णय में सभी तनकी व बंटवारा लिखत बेचाननामा,आदि को सही होना वादी के पिता व दादा ने सही होना स्वीकार किया है। व अन्य गवाहान ने भी ताईद की है एंव मांगीलाल के द्वारा फौजदारी

सहायक कलक्टर

प्रकरण विशेष न्यायालय नागौर में सरकार बनाम भंवरू वगैरहा अनवान से निर्णय हुआ जिसमें भेरूराम व शिवजी मुलजिम थे जिसमें उक्त बंटवारा और बेचाननामा नारायण के द्वारा प्रतिवादी रतनलाल को किया गया। जिसको सही होना मानते हुए मांगीलाल का मुकदमा में मुलजिमान को बरी किया गया। जिसमें धारा 447,427 का आरोप था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शित की गई जो डी–2 है। व बेचाननामा डी–3 है। इस प्रकार तनकी संख्या 2 प्रतिवादी ने अपने पक्ष में बतौर साक्ष्य व दस्तावेजी सबूत से साबित किया है जो प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है एंव वादी के विरूध तय की जाती है।

3–आया खेत खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा का नारायण द्वारा बेचान किया जिसमेसं भैरूराम के हस्ताक्षर है। और वाद संख्या 200/85 सहायक कलक्टर डेगाना में प्रदर्श करवाया जिससे वादीगण का वाद काबिल निरस्त है।

(प्रतिवादी)

तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई जिसमें खसरा नंबर 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा का नारायण का बेचान किया गया जिसमें भैरूराम के हस्ताक्षर है या नहीं जिसका साबित करने का भार प्रतिवादी के जिम्मे था। प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में वाद संख्या 200/85 सहायक कलक्टर डेगाना के यहां बअनवान मांगीलाल बनाम भैरूराम में वादी के दादा भैरूराम ने दिनांक 2.12.88 को बयान किये थे जिसमें अपने जिरह में स्वीकार किया कि नारायण ने जो भूमि का बेचान किया उसमें भी मेरा अंगुठा करवाया क्योंकि मेरा खाते में नाम था। उक्त बेचाननामा में पड़ौस स्वंय के वादग्रस्त खसरा के पश्चिम में रामा जी का खेत जो नारायण से खरीदा का अंकन करवाया जिससे साफ साबित है कि नारायण अपने बंट होने के पश्चात उक्त खेत खसरा नंबर 1207 का बेचान रतनलाल को किया जो सही है। और उन्होने अपने बयानो में मुतनाजा खेत में अपना हिस्सा नहीं होना जाहिर कियाा व खसरा नंबर 1266 में नारायण का हिस्सा होना नहीं माना क्योंकि उक्त खसरा में नारायण का बंट नहीं था जो पारिवारिक बंटवारा की लिखत संवत् 2014 जैठ सुदी दशम का होना साबित है जो पूर्व वाद में प्रदर्शित है। जिसमें नारायण के भी अंगुठा निशान है व लिखत मदनलाल ब्राहमण की है। इस प्रकार बंटवाड़ा हमेशा एक बार ही किया जाता है। चाहे पारिवारिक हो या न्यायालय के द्वारा। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी ने बेचाननामा दिनांक 25.8.1966 को सही होना व नारायण के बंट में होना जो वादी के दादा भैरूराम के द्वारा ताईद करना जो वाद संख्या 200/85 मांगीलाल बनाम भैरू में बयान,पारिवारिक बंटवाड़ लिखत, के द्वारा साबित है जिससे उक्त तनकी भी प्रतिवादी के पक्ष में एंव वादी के विरूध तय की जाती है।

इस प्रकार उक्त वाद में वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्य के समर्थन में स्वंय को ही परीक्षित करवाया। वादी ने अपने वाद में पूर्ववर्ती वाद संख्या 200/85 मांगीलाल बनाम भैरू निर्णय दिनांक 5.2.94,में उक्त बेचाननामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चूका है। जिसको वादी के पिता व दादा ने भी सही होना स्वीकार किया व उक्त बेचाननामा के बारे में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न करना असभव है क्योंकि जब वादी के दादा स्वंय के द्वारा अपना अगुष्ट निशान होना व वादग्रस्त खसरा 1207 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा नारायण के बंट में होना जो पारिवारिक बंटवाड़ा लिखत से साबित है। अब वादी ने अपने पिता व दादा की मृत्यु उपरांत वादीगण के द्वारा यह वाद मयाद बहार प्रस्तुत किया है जबकि वादीगण के पिता व दादा ने अपने वाद के समर्थन में उक्त बेचननामा को सही होना स्वीकार किया व पारिवारिक लिखत बंटवारा को स्वीकार किया। परंतु वादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है।

सहायक कलक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

और वादी ने उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना संख्या 70/15 लालचंद बनाम रतनलाल निर्णय दिनांक 21.3.16 को खारीज किया गयाा एंव वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टतया वाद सुविधा का संतुलन व अपूर्णीनीय क्षति वादी की नहीं मानी गई बल्कि प्रतिवादी के पक्ष में मानते हुए व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना के निर्णय,वादी के दादा ाव पिता के बयानाता बंटवारा लिखत निर्णय एंव विशेष न्यायालय नागौर के निर्णय आदि दस्तावेजात को अवलोकन करने पर एंव वादी के दादा भैरू द्वारा अपने बयान डीडब्लु 5 में अपना अंगुष्ठ निशान होना स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टतया वाद वादी के पक्ष में किसी प्रकार बनना नहीं पाया जाता है। वादी यदि पीढी दर पीढी एक ही वाद बिन्दु पर मुकदमा लाये जाने की स्थिति में मुकदमाबाजी अंतहीन हो जायेगी जिससे वाद का निर्णय कभी नही हो पायेगा। एस्टोपल के सिद्वान्त के आधार कोई भी व्यक्ति अपने कथन का खण्डन स्वंय नहीं कर सकता है। उक्त वाद में मयाद के बिन्दु एंव स्वीकृति के आधार पर धारा 12 सीपीसी के तहत हर व्यक्ति अपने कथन आबद्व रहता है। वकील प्रतिवादी ने अपने बहस में अपने उक्त सारे तथ्यों का कथन किया व तनकीवार संख्या 2 व 3 साबित की है वादी ने अपनी तनकी संख्या 1 को साबित नहीं की है बल्कि अपनी जिरह में स्वंय ने बेचाननामा बंटवारा व अपने पिता व दादा के कथनो को सही होना स्वीकार किया है। जिससे भी वादी के द्वारा अपना वाद साबित किसी प्रकार से नहीं किया है। बल्कि प्रतिवादी के साक्ष्य व कथनो को ताईद किया है।

इस प्रकार वादी का वाद किसी भी प्रकार से साबित नही होने से व प्रतिवादी के द्वारा बतौर साक्ष्य सबूत न्यायिक प्रकिया में वादी के दादा व पिता के कथनो के द्वारा साबित होने से संदेह की कोई गुजाईश नहीं है। वादी अपने वाद केवल हैरान परेशान करने की नियत से किया है और अपने स्वयं के कथन से भी प्रतिवादी के पक्ष को मजबूत करता है एंव बेचाननामा को सही होना स्वीकार करता है। इस प्रकार वादी अपने समर्थन कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका है। लिहाजा वादी का वाद खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। इसी आशय का डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो।

नोटः उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बैंक में रहन रखा हो तो यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी

निर्णय आज दिनांक 16.10.17 को बइजलास खुले में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम रियॉबडी

बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर ए एस

वादीगण

1–लालचन्द पुत्र स्व.शिवजीराम जाति माली

2–केवलचन्द पुत्र स्व.शिवजीराम जाति माली

निवासीगण आलनियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1–रतनलाल पुत्र रामकरण जाति गुर्जर

निवासी आलनियावास तहसील रियांबड़ी

2–तहसीलदार रियांबड़ी

3– पटवारी हलका आलनियावास

तरतीबी प्रतिवादीगण

4–श्रीमति मूलकीदेवी पुत्री श्री शिवजीराम पत्नि मोतीराम निवासी जसनगर

5–श्रीमति शारदा पुत्री श्री शिवजीराम पत्नि राधेश्याम निवासी जाटावास

6–श्रीमति गुलोदेवी पुत्री श्री शिवजीराम पत्नि नौरतराम निवासी जसनगर

7–श्रीमति भरपाई पुत्री श्री शिवजीराम पत्नि रमेश निवासी रियांबड़ी

8–श्रीमति गीतादेवी पत्नि स्व.शिवजीराम जाति माली निवासी आलनियावास

दावा बाबत् घोषणा हक खातेदारी व दिलाये जाने कब्जा व हर्जाना अन्तर्गत धारा 88,183 रा.का.अ 1955. मुकद्दमा न राजस्व वाद संख्या:– 103/2015 यह मुकद्दमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वादी....मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

" वादो का वाद साक्ष्य सबूतो के अभाव में खारीज किया जाता है।"

नोट: उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बेंक में रहन रखा हो तो यथावत रहेगा।

.....लीत .....मुबलिक.....बाबात.....खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर..... फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक.....का अदा करें।

बरोब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :– 16-10-17

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलेक्टर
रियॉबड़ी

सहायक कलक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपय	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

नोट:– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकेन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलेक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)